भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4660
28 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भेषज क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

4660. श्री अरुण भारती:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भेषज क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय भेषजी परिषद (पीसीआई) ने भेषज पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षक वर्ग-छात्र अनुपात निर्धारित किया है और यदि हां, तो डी. फार्मा और बी. फार्मा पाठ्यक्रमों के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भेषजज्ञों के लिए आधार प्रमाणीकरण और एकल खिड़की पंजीकरण प्रणाली आरंभ की है और यदि हां, तो इसके क्या लाभ हैं;

(घ) क्या सरकार ने औषधियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और भेषज सह-सतर्कता केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी) के साथ कोई सहयोग किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थापित किए गए औषध सह-सतर्कता केन्द्रों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार भेषज संस्थानों के लिए निरीक्षण, मूल्यांकन और रेटिंग प्रणालियों में प्रौद्योगिकीय प्रगति को कार्यान्वित कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): केंद्र सरकार ने फार्मेसी क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कदम उठाए हैं। भारतीय भेषजी परिषद जो फार्मेसी शिक्षा/पेशे के लिए नियामक निकाय है, ने फार्मासिस्ट के रूप में योग्यता के लिए आवश्यक शिक्षा के न्यूनतम मानक निर्धारित करने, फार्मेसी संस्थानों का निरीक्षण करने, फार्मासिस्टों के अध्ययन और परीक्षा के पाठ्यक्रम को मंजूरी देने तथा फार्मासिस्टों का एक केंद्रीय रजिस्टर बनाए रखने आदि के लिए कदम उठाए हैं।

(ख): भारतीय भेषजी परिषद के शिक्षा विनियमन, 2020 के अनुसार, डी.फार्मा कोर्स के लिए संकाय-छात्र अनुपात सैद्धांतिक कक्षाओं में 1:60 और व्यावहारिक कक्षाओं में 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए। भारतीय भेषजी परिषद ने बी.फार्मा कोर्स के लिए संकाय-छात्र अनुपात भी निर्धारित किया है जो सैद्धांतिक कक्षाओं और व्यावहारिक कक्षाओं में 1:20 से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ग): आधार प्रमाणीकरण प्रणाली को दिनांक 23.11.2023 को अधिसूचित किया गया और तत्पश्चात पारदर्शिता बढ़ाने, फर्जी पहचान को समाप्त करने और फार्मेसी पेशे से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे कि शिक्षकों, फार्मासिस्टों, पीसीआई के साथ पंजीकृत छात्रों की पहचान का प्रमाणीकरण और संस्थानों की प्रशासनिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए दिनांक 21.03.2025 को इसमें संशोधन किया गया।

पीसीआई ने फार्मासिस्टों के लिए एकल खिड़की पंजीकरण प्रणाली विकसित की है, जिसे छात्र पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि छात्र पंजीकरण हेतु चयनित राज्य फार्मेसी परिषद में सीधे आवेदन कर सकें।

(घ): पीसीआई ने दवा सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय भेषज संहिता आयोग (आईपीसी) के साथ सहयोग किया है और देश भर में 72 फार्मा सह-सतर्कता केंद्र स्थापित किए हैं।

(ङ): पीसीआई ने फार्मेसी संस्थानों की निरीक्षण प्रक्रिया में क्यूआर कोड सिस्टम को अपनाकर तकनीकी प्रगति को लागू कर रहा है और फार्मेसी शिक्षा संस्थानों के लिए मूल्यांकन और रेटिंग प्रणाली के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के साथ सहयोग किया है।

*****